

6. बीएसबीडीए 24 महीने की सूचना

विषय: आपके केवाईसी स्मॉल/डिजिटल खाते में केवाईसी अनुपालन में उल्लंघन

प्रिय ग्राहक,

हम आपका ध्यान एचडीएफसी बैंक में आपके प्राथमिक क्षमता में मौजूद स्मॉल/डिजिटल खाते की ओर आकर्षित करना चाहते हैं.

आरबीआई परिपत्र संख्या- डीबीओडी. एएमएल. नं. 77/14.01.001/2010-11 दिनांक 27 जनवरी, 2011 के आधार पर, बैंक के साथ आपका खाता आंशिक/शून्य केवाईसी दस्तावेजों के साथ खोला गया है.

परिपत्र के दिशानिर्देशों के अनुसार, जो बैंक के साथ आपके संबंधों को नियंत्रित करते हैं, आपको खाता खोलने के 24 महीनों के भीतर केवाईसी दस्तावेजों (पहचान प्रमाण, पता प्रमाण और फोटो) की स्वीकार्य सूची जमा करनी होगी.

एचडीएफसी बैंक को या तो आंशिक रूप से या बिल्कुल भी स्वीकार्य केवाईसी दस्तावेजों की कोई सूची प्राप्त नहीं हुई है और इस प्रकार आपके बीएसबीडीए स्मॉल/डिजिटल खाते में आगे कोई लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

आपसे निवेदन है कि केवाईसी की आवश्यकताओं को पूरा करने और अपने मौजूदा बीएसबीडीए स्मॉल/डिजिटल खाते को नियमित बचत खाते में बदलने के लिए अपने शाखा प्रबंधक से संपर्क करें.

कृपया किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए अपने शाखा प्रबंधक से संपर्क करने में संकोच न करें.

हम आपको हर समय हमारी सर्वोत्तम सेवाओं का आश्वासन देते हैं.

शुभकामनाओं सहित,
एचडीएफसी बैंक

टिप्पणी: यह एक कंप्यूटर द्वारा तैयार किया गया पत्र है और इसलिए इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है.